सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 955 राँची, सोमवार, 20 अग्रहायण, 1939 (श०)

11 दिसम्बर, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

6 अक्टूबर, 2017

कृपया पढ़ें:-

1. उपायुक्त, चतरा का पत्रांक-269/स्था०, दिनांक 6 मई, 2015
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का आदेश सं०-4331, दिनांक 13 मई, 2015; पत्रांक- 4496, दिनांक 21 मई, 2015; आदेश सं०-2695, दिनांक 29 मार्च, 2016 एवं संकल्प सं०- 8256, दिनांक 23 सितम्बर, 2016
3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-165, दिनांक 7 दिसम्बर, 2016

संख्या- 5/आरोप-1-23/2015 का.-10395-- श्री प्रवीण रोहित कुजूर, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मयूरहंड, चतरा के विरूद्ध उपायुक्त,

चतरा के पत्रांक-269/स्था०, दिनांक 6 मई, 2015 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया । प्रपत्र- 'क' में श्री कुजूर के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है-

आरोप सं०-1 आप दिनांक 5 मई, 2015 को पूर्व सूचना एवं बिना अनुमति के मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे ।

आरोप सं०-2 दिनांक 5 मई, 2015 को दूरभाष पर आपसे सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, परन्तु सम्पर्क नहीं हो सका ।

आरोप सं०-3 दिनांक 5 मई, 2015 को आप मुख्यालय से बाहर राँची में थे एवं आपकी संलिप्तता, सरकारी कार्यों के निष्पादन में व्यवधान संबंधी आपत्तिजनक कार्यों में पाया गया है । यह सरकारी सेवक आचरण के प्रतिकूल एवं कार्य के प्रति लापरवाही तथा स्वेच्छाचारिता का द्योतक है ।

आरोप सं०-4 कार्यालय पत्रांक 394/गो० दिनांक 5 मई, 2015 को आपसे मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के क्रम में स्पष्टीकरण पूछा गया । विहित समयावधि में आपका उत्तर अप्राप्त रहा । यह उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना है ।

आरोप सं०-5 दिनांक 6 मई, 2015 को 09:00 बजे पूर्वाह्न विकास से संबंधित बैठक में अनुपस्थित थे, इससे स्पष्ट है कि आप मुख्यालय में नहीं थें ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं०-4331, दिनांक 13 मई, 2015 द्वारा इन्हें निलंबित किया गया तथा पत्रांक-4496, दिनांक 21 मई, 2015 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया । तत्पश्चात, विभागीय आदेश सं०-2695, दिनांक 29 मार्च, 2016 द्वारा इन्हें निलंबन मुक्त किया गया । श्री कुजूर के पत्र, दिनांक 2 जून, 2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्री कुजूर के विरूद्ध आरोप एवं इनके स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-8256, दिनांक 23 सितम्बर, 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-165, दिनांक 7 दिसम्बर, 2016 द्वारा श्री कुजूर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध

कराया गया। श्री कुजूर विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी ।

समीक्षोपरांत, श्री प्रवीण रोहित कुजूर, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मयूरहंड, चतरा, सम्प्रति-निलंबित को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है तथा इसकी प्रविष्टि इनकी गोपनीय चारित्री में दर्ज की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 955--50